

22/1/25 पत्रावली पेश हुई। अन्य राज्य तथा पत्रावली पेश की को पेश है।

A-
श्री. 01/01/2025

12/2/25 पत्रावली पेश हुई। लकीलवादी ने प्रतिवादी के प्रतिवादी के लिए रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। दि. 28/2/25 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

20/2/25 पत्रावली पेश हुई। लकीलवादी व वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रतिवादी को बार-बार आवाज लगाई गयी। प्रतिवादी की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। प्रतिवादी का वाद अदम्य है। अदम्य पत्रावली पत्रावली पेश की जा रही है। पत्रावली पेश की जा रही है। वाद तहसील दफ्तर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर,

जयपुर।

राजस्व वाद संख्या :- / 2024

ओमप्रकाश चौधरी पुत्र राम लाल चौधरी, निवासी ग्राम रामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) ।

बनाम

1. रामलाल पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण,
2. अर्जुन चौधरी पुत्र राम लाल,
3. गोपाल लाल पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण,
4. शंकर लाल पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण,
5. मोहन लाल पुत्र स्व. राधेश्याम,
6. प्रदीप कुमार पुत्र स्व. राधेश्याम,
7. कम-5 व 6 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता रामा देवी पत्नी स्व. राधेश्याम,
8. रामकरण पुत्र स्व. मोहरू,
9. रामनारायण पुत्र श्योकरण
10. समस्त निवासीगण ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील जयपुर (राज.) ।
11. जयपुर विकास प्राधिकरण, जरिये सचिव, इंदिरा गांधी लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ।
12. उप-पंजीयक सांगानेर, जिला जयपुर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय सांगानेर,

दावा बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेध

मान्यवर,

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

Omprakash